39

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर ﴾म0प्र0﴿

रिव्यू -1681 II-IV पुर्नबिलोकन प्र0क्र0/

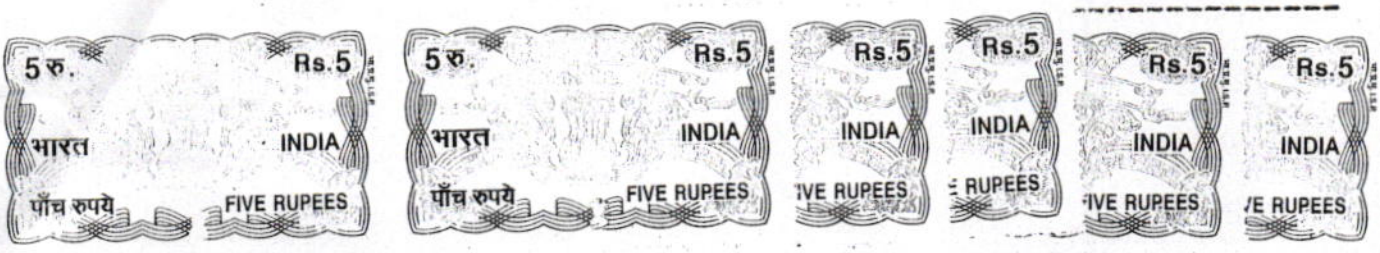

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

आदित्य कुमार तिवारी आत्मज स्व· रामसिया शर्मा उम्री लगभग 48 वर्ष निवासी ग्राम चोरगढ़ी 189 पो0आ0 नौढ़िया थाना व तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ ---- गैरनिगराकार/आवेदक

बनाम

इन्द्रकुमार तिवारी तनय श्री शिवदुलारे तिवारी नि0ग्राम चोरगढ़ी 189 पो0 आ0 नौढ़िया थाना व तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ ------------- निगरानीकर्ता / अनावेदक

दिनांक 28·5·16 को श्री आर0पी0 सेंगर अभि0 द्वारा प्रस्तुत। 28.5.16

आर.पी.सि. 28-5-16

पुर्नबिलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0।

पुर्नबिलोकन विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ﴾ श्री आशीष श्रीवास्तव﴿ म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्र0क्र0/आर-5067-दो/2015 आदेश दिनांक 23-10-2015, ﴾ तेइस अक्टूबर - सन् दो हजार पन्द्रह ﴿

महानुभाव,

पुर्नबिलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित है :---

1- यह कि माननीय विद्वान सदस्य ﴾श्री आशीष श्रीवास्तव﴿ राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्र0क्र0/आर-5067-दो/2015 में पारित चुनौती सुदा आदेश दिनांक 23-10-2015 विधि विरूद्ध एवं प्रत्यक्ष दर्शी त्रुटियों से युक्त होने के कारण अपास्त कर परिमार्जित किए जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1681–दो/2016 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–16	आवेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के प्र0 क्र0 निग0 5067–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2015 के विरूद्ध म0प्र0भू0रा0स0 की धारा 51 के अन्तगर्त यह निगरानी प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0–5067–दो/2015 में पारित चुनौती सुदा आदेश दिनांक 23.10.2015 विधि के विरूद्ध एवं प्रत्यक्ष दर्शी त्रुटियों से युक्त होने के कारण अपास्त कर परिमार्णित किये जाने योग्य है । प्रश्नगत आदेश पारित करने के पूर्व सदस्य महोदय द्वारा अनावेदक/आवेदक/पुर्नविलोकनकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। सदस्य महोदय द्वारा साक्ष्य की गलत विवेचना कर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष प्रकरण में मौजूदा साक्ष्य के विपरीत निकाले गये है । प्रश्नगत आदेश की नकल दिनांक 27.05.16 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात युक्त आदेश की जानकारी हुई, आवेदक द्वारा ज्ञानकार कोई विलम्ब नहीं की गई	

है तथा विलम्ब माफी हेतु पृथक से आवेदन–पत्र सहित शपथ–पत्र के साथ पेश किया जा रहा है । प्रस्तूत आवेदन पत्र जानकारी दिनांक से अबधि के अन्दर एवं शपथ–पत्र से समर्पित होने के कारण व विध.अनुरूप होने से स्वीकार किया जावे ।

3/ आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने पर मैं इस निषकर्ष पर पहुँचा हूँ कि न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर का आदेश स्थिर रखा जाता है। इसी स्तर पर प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य